



2026:AHC:31282

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2098/2026

एस.आई. मनोज कुमार सरोज एवं 19 अन्य

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : रवीन्द्र कुमार यादव, संदीप कुमार यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रविंद्र कुमार यादव और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि वे राज्य के विभिन्न जिलों में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने 19 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है, और 02.12.2000 को जारी सरकारी आदेश के अनुसार वे एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लाभ के हकदार हैं।
3. वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे सरकारी आदेश के अनुसार, 19 वर्ष की सेवा को गणना करते समय—जिसके आधार पर एक अतिरिक्त वेतन-वृद्धि प्रदान की जाती है—याचिकाकर्ताओं द्वारा कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति से पूर्व व्यतीत की गई सेवा अवधि को भी विचार में लें।
4. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या **44330/2012** (घनश्याम तिवारी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक 07.09.2012 को पारित निर्णय पर कोई विवाद नहीं किया; साथ ही, इसी तरह की एक अन्य याचिका, रिट 'ए' संख्या **6429/2018** (दिनेश कुमार शुक्ला एवं 14 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य) पर भी कोई विवाद नहीं किया, जिसका निर्णय दिनांक 22.02.2018 को किया गया था। दिनांक 22.02.2018 के आदेश को इस न्यायालय के अध्याय VIII नियम 5 के तहत आंतरिक न्यायालय अपील में चुनौती दी गई थी, और इस पर दिनांक 07.09.2016 के निर्णय और आदेश के माध्यम से फैसला सुनाया गया; जिसमें, सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या **44330/2012** (घनश्याम तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 07.09.2012 को पारित निर्णय और आदेश के अनुसरण में, याचिकाकर्ताओं के दावे को उचित ठहराया गया था।
5. मामले के गुण-दोष में जाए बिना, न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक) स्थापना, पुलिस मुख्यालय, सिग्नेचर भवन, लखनऊ, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लें।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

12 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"